कार्यवृत्त

शुक्रवार, 05 भाद्रपद, शक संवत्, 1943

(दिनांक : 27 अगस्त, 2021)

खण्ड–60
अंक–5

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से सम्बन्धित विधेयक पास किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 30 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी। जो सभी पढ़ी हुई मानी गयी।

1.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत तैनात राज्य भर में लगभग 3000 संविदा कर्मचारियों के जन स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, नियमितीकरण एवं समान कार्य समान मानदेय/वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''	विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत दल्लावाला से हरिद्वार जनपद मुख्यालय–रोशनाबाद तक राजकीय रोड़वेज बस सेवा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।
3.	श्री उमेश शर्मा काऊ	विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत अधोईवाला क्षेत्र में 2012 में ए0डी0बी0 वित्त पोषण के अन्तर्गत बनाई गई योजना के बाद भी जनता को पानी न मिलने के सम्बन्ध में।
4.	श्री करन माहरा	प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों हेतु राज्य सरकार स्तर पर ट्रिब्यूनल गठन की व्यवस्था निर्धारित न किये जाने के सम्बन्ध में।
5.	श्री विजय सिंह पंवार	विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत फिकवाल समुदाय व धनोल्टी के अन्तर्गत गंगाड़ी समुदाय को केन्द्रीय ओ.बी.सी. का लाभ दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।
6.	श्री हरीश सिंह	विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
7.	श्री मनोज रावत	विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तल्ला नागपुर और दशज्यूला क्षेत्र के सम्बन्ध में।

8.	काजी निजामुद्दीन	जनपद हरिद्वार में चकबन्दी विभाग में राज्य गठन से पूर्व कार्यरत कार्मिकों को पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान न किये जानें के सम्बन्ध में।
9.	श्रीमती ममता राकेश	विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
10.	श्री फुरकान अहमद	जनपद हरिद्वार में पशु चिकित्सकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।
11.	श्री प्रीतम सिंह	ग्राम/न्याय पंचायतों में कार्यरत सी0एस0सी0–वी0एल0ई0 को मानदेय/प्रोत्साहन राशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।
12.	श्री आदेश सिंह चौहान	जसपुर विधान सभा क्षेत्र विकासखण्ड जसपुर के अंतर्गत तुमड़िया डाम क्षेत्र को ग्राम सभा का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
13.	श्री राजकुमार ठुकराल	66 रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में नैनीताल रोड़ पर स्थित टाण्डा जंगल के समीप स्थित संजय वन पार्क को विकसित करने व सौन्दर्यीकरण करने के सन्दर्भ में।
14.	श्री राजकुमार	जनपद उत्तरकाशी में आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
15.	श्री खजान दास	राजपुर रोड़ विधान सभा, देहरादून के अन्तर्गत बिन्दाल एवं रिस्पना नदी के दोनों ओर (किनारों पर) जानमाल की सुरक्षा हेतु तटबंधों/सुरक्षा दीवारों का निर्माण किये जाने संबन्धी।
16.	श्री देशराज कर्णवाल 'चमार साहब'	गन्ना किसानों का 2017–18 तथा 2018–19 की बकाया राशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
17.	श्री धनसिंह नेगी	उत्तराखण्ड राज्य के कन्ट्रोल डीलरों के किराये के भुगतान न होने के संदर्भ में।
18.	श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के कालेश्वर में पूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधा हेतु ई0सी0एस0एच0 पॉलिक्लीनिक के लिए 0.341 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।
19.	श्री दीवान सिंह बिष्ट	विधान सभा क्षेत्र रामनगर के टोगिया गाँव को राजस्व ग्राम नहीं बनाये जाने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
20.	श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	चम्पावत विधान सभा सहित प्रदेश की समस्त आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों में व्याप्त असंतोष की सूचना।
21.	श्री बलवन्त सिंह भौर्याल	विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय विद्युतीकरण न होने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।

22.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र आरकेडिया में चाय बागान में कार्य करने वाले श्रमिकों को मालिकाना हक देने के सम्बन्ध में।
23.	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	सरकार द्वारा भाषा संस्थान की स्थापना हेतु ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध होने के बाद भी प्रभावी कार्यवाही नही होने के सम्बन्ध में।
24.	श्री आदेश चौहान	विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर के अन्तर्गत नगर पालिका शिवालिक नगर ग्राम सभा महदूद की सीमा पर अतिक्रमण से नालों में जल भराव से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
25.	श्री राम सिंह कैड़ा	उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्टों के पदों को सृजन करने व बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियुक्ति संबंधी।
26.	श्रीमती मीना गंगोला	विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में मणकनाली–सूरखाल (पाठक) सड़क का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में।
27.	श्री चन्दन राम दास	विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में आई0टी0आई0 गरूड़ व कटपुडिहीना बन्द करने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
28.	श्रीमती मुन्नी देवी शाह	जनपद चमोली के थराली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में
29.	श्री राजेश शुक्ला	प्रदेश के राजस्व विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी पर राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व हक प्रदान करने के सम्बन्ध में।
30	श्री महेश जीना	विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पी0टी0ए0 शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(12 बजकर 21 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम खुब्बनपुर (लतीफपुर) में रविदास मंदिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री गोविन्द पुत्र श्री रमेश चन्द, ग्राम खुब्बनपुर, पो0 खास जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बहबलपुर में श्मशान घाट की चारदीवारी व सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री पाल सिंह पुत्र श्री फग्गन सिंह, ग्राम बहबलपुर, पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम खानपुर में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में" श्री भूषण पुत्र श्री सुग्गन, ग्राम खानपुर, पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम हल्लूमाजरा में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री अंकित कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह, ग्राम हल्लूमाजरा, पो0 खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम खजूरी में खजूरी बस स्टैण्ड से मोलना अड्डे तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री योगेश कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र त्यागी, ग्राम खजूरी, पो0 मानकपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 अगस्त, 2021 की बैठक में दिनांक 27 एवं 28 अगस्त, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

<u>दिनांक 27 अगस्त, 2021 (शुक्रवार)</u>

1. दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डी0आई0एम0एस0) विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2. <u>निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :–</u>

   1. श्री मनोज रावत, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य आन्दोलनकारी स्व0 श्री बाबा मोहन सिंह उत्तराखण्डी ने गैरसैंण को राजधानी बनाये जाने के लिए अपने प्राणों की आहूति दी थी इसलिए जनमानस की भावनाओं को देखते हुए भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधान भवन का नाम राज्य आन्दोलनकारी 'स्व0 श्री बाबा मोहन सिंह' उत्तराखण्डी विधान भवन भराड़ीसैंण/गैरसैंण कर दिया जाय।''

   2. श्री महेश जीना, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये जनसंख्या के मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुये ग्रामसभाओं में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाय।''

   3. श्रीमती ममता राकेश, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सिडकुल (औद्योगिक आस्थानों) की स्थापना की गयी है किन्तु उक्त आस्थानों में उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को नाम–मात्र का रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि उक्त कम्पनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा/आदेश किया गया था लेकिन किसी भी आस्थान/कम्पनियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

      अतः प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।''

4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के समेकित एवं सर्वागींण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय आय व्ययक आवंटन को भौगोलिक एवं आर्थिक आलोक में युक्तिसंगत बनाने एवं राज्य के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक अधिकार सम्पन्न ''आय व्ययक एवं वित पोषण समरूपता प्रदायक आयोग'' का गठन कर उसका क्रियान्वयन किया जाय।''

3. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

4. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।''

5. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

6. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

7. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

8. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि

पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बन्धित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

9. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

10. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

11. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुननिर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

12. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

13. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

14. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय''।

15. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय''।

16. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न करायें''।

17. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या–1118/ग्टप्प्–1/2013–01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (ठवदंपिकम त्मेपकमदजे) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

18. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार की प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय''।

19. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय''।

20. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय''।

21. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

22. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय''।

23. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहा पर यह कार्यरत है।

24. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि स्वर्गीय डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा उत्तराखण्ड द्वारा भराड़ीसैंण, (गैरसैंण) जनपद चमोली में विधान सभा भवन निर्माण कार्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए योगदान प्रदान करने के दृष्टिगत भराड़ीसैंण (गैरसैंण) विधान सभा परिसर के विधायक हॉस्टल का नाम उनकी पुण्य स्मृति में कर दिया जाय।''

25. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।''

26. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन को सुनिश्चित करने के लिए

प्रादेशिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाय। और ऐसी संस्थाओं को चयनित करने के लिए इस वर्ग के प्रबुद्ध जनों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय।''

27. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा ढोलीगांव व लूगड़ में जनहित को देखते हुए आई0टी0आई0 खोला जाय।''

28. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में अक्टूबर, 2005 के बाद से नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।''

29. <u>निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :–</u>

1. श्री मनोज रावत, ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत केदारनाथ विधान सभा में विश्वस्तरीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।''

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय दीर्घकालिक योजना निरूपित कर वर्तमान विषमताओं के निदान के लिए एक उच्च स्तरीय 'स्वास्थ्य सेवा परामर्शी दात्री आयोग' का गठन किया जाय।''

3. श्री महेश जीना, ''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में विकासखण्डों को विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नये विकास खण्डों के गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

30. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

31. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

32. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :—

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

33. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :—

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

34. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :—

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।''

35. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :—

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

36. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :—

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

37. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :—

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय''।

38. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :—

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।''

39. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।''

40. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।''

41. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24–25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गये है जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।''

42. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन–पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।''

43. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय''।

44. श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के किसानों की फसलों को बन्दरों व सुअरों के आतंक से बचाने व निजात दिलाने के लिए ठोस नीति बनायी जाय।''

45. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग सुनिश्चित किया जाय।''

46. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निरन्तर हो रही दैवीय आपदा के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग भूमिहीन परिवारों को राजस्व भूमि आवंटित कराने हेतु एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक समिति गठित की जाय। जो उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं युक्त स्थलों का विकास भी सुनिश्चित किया जाय और सिडकुल जैसी भूमि भी इसमें शामिल की जाय।''

47. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड–ओखलकाण्डा, धारी व रामगढ़ के मध्य एक पालिटैक्निक कालेज खोला जाय।''

48. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

49. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

50. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

51. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

52. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय–व्यय निर्धारण में सम्बलियन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक–पृथक मात्राकरण आय–व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के

आधार पर आय–व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।''

53. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना ैब्च) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (ज्ैच) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना ैब्च)एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (ज्ैच) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।''

54. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक–एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद–21के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हाँसिल हो सके।''

55. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एंव गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।''

56. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्ध हो सके।''

57. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।''

58. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''अनुसूचित जाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु।''

59. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''जनपद हरिद्वार के इकबालपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नहर का कार्य तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में''

60. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में''

61. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हरिद्वार में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने विषयक''

<u>दिनांक 28 अगस्त, 2021 (शनिवार)</u>

62. श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा :–

''सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री प्रीतम सिंह, श्री मनोज रावत, श्री करन माहरा एवं काजी मौ0 निजामुद्दीन, तथा श्री आदेश सिंह चौहान की 05 सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रेडियोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिक तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती न करने व ट्रामासेन्टर के सुचारू रूप से न संचालित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। कृषि मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश में कोविड–19 की महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री करन माहरा एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये। शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

(01 बजकर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मा0 मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में प्रत्येक विधान सभा सदस्य को दी जाने वाली विधायक निधि में वित्तीय वर्षः 2020–21 हेतु की गई रूपये 1.00 करोड़ (एक करोड़ मात्र) की कटौती को निर्गत किया जायेगा। गवर्नमेण्ट डिग्री कॉलेजों एवं दसवीं व बारहवीं के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों की अनुमानित संख्या–1.00 लाख, अनुमानित धनराशि रूपये 10000.00 लाख, राज्य स्थित कैण्ट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवनकर माफ करने हेतु यथोचित कार्यवाही की जायेगी। राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु भू–विधियों का

अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देने हेतु पूर्व मुख्य सचिव/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है।

कॉन्सटेबल, हेड कॉन्सटेबल, सब–इन्सपेक्टर एवं इन्सपेक्टर को कोविड–19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रूपये 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। पटवारी/लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एव ंनायब तहसीलदार को कोविड–19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रूपये 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को कोविड–19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रूपये 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। राज्य सरकार के द्वारा कोविड–19 के प्रभाव को दृष्टिगत् रखते हुए समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु उपरी आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट शासनादेश दिनांक 23–07–2021 द्वारा पूर्व में दी गई।

सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा समूह–ख के पदों पर भर्ती हेतु भी 01 वर्ष की उपरी आयु सीमा में छूट देने हेतु शासनादेश दिनांक 27–08–2021 निर्गत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अटल उत्कृष्ट, राजकीय विद्यालयों सहित अन्य समस्त शासकीय विद्यालयों में दिनांक 01 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2021 तक प्रवेश पखवाड़ा एवं 15 सितम्बर, 2021 को नवप्रवेशित बच्चों के लिए स्वागतोत्सव मनाये जाने की घोषणा करता हूँ। शिवानन्द नौटियाल छात्रवृति में बच्चों की संख्या में वृद्धि करते हुए 11 बच्चों के स्थान पर 100 बच्चों को प्रदान की जायेगी। शिवानन्द नौटियाल छात्रवृति में वृद्धि करते हुए रूपये 250.00 के स्थान पर रूपये 1500.00 प्रतिमाह की जायेगी। श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृति में वृद्धि करते हुए रूपये 150.00 के स्थान पर रूपये 1000.00 प्रतिमाह की जायेगी। प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के लिये अलग शौचालय की व्यवस्था की जायेगी। 600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुवल क्लास की व्यवस्था की जायेगी।

शिफन कोर्ट मसूरी के निर्बल मजदूरों को बेघर होने से बचाने तथा अन्यत्र पुर्नवासित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये। संसदीय मंत्री एवं सैनिक कल्याण मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

सदन की कार्यवाही 02 बजकर 10 मिनट पर भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में 151 पुलों की स्वीकृति के उपरान्त आज की तिथि तक भी उक्त हेतु निविदा आमंत्रित न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये। कृषि मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

आंगनबाडी कार्यकर्त्रियों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से सम्बन्धित बिल पास किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना की ग्राहयता के सम्बन्ध में श्री करन माहरा, श्री आदेश सिंह चौहान, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्रीमती ममता राकेश, हाजी फुरकान अहमद, श्री मनोज रावत एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि मा0 सदस्यों ने लाइव वेब कास्टिंग का विषय उठाया था, विशेषज्ञ तकनीकी खराबी को ठीक कर रहे हैं और थोडी देर में पुनः इसे प्रारम्भ करने में सफलता प्राप्त हो जायेगी, जब यह प्रारम्भ होगी तो कुछ क्षण के लिए समस्त सिस्टम ऑफ किया जायेगा, सभी संबंधित को अनुरोध है कि असुविधा को उदार ह्रदय से सहने का कष्ट करेंगे।

(04 बजकर 26 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मा0 कृषि मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

<u>निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण किया :—</u>

1. श्री मनोज रावत, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य आन्दोलनकारी स्व0 श्री बाबा मोहन सिंह उत्तराखण्डी ने गैरसैंण को राजधानी बनाये जाने के लिए अपने प्राणों की आहूति दी थी इसलिए जनमानस की भावनाओं को देखते हुए भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधान भवन का नाम राज्य आन्दोलनकारी 'स्व0 श्री बाबा मोहन सिंह उत्तराखण्डी' विधान भवन भराड़ीसैंण/गैरसैंण कर दिया जाय।'' **(माननीय उपाध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या—17(1) पर माननीय सदस्य श्री मनोज रावत का नाम पुरकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)**

2. श्री महेश जीना, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये जनसंख्या के मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुये ग्रामसभाओं में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाय।''

3. श्रीमती ममता राकेश, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सिडकुल (औद्योगिक आस्थानों) की स्थापना की गयी है किन्तु उक्त आस्थानों में उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को नाम—मात्र का रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि उक्त कम्पनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा/आदेश किया गया था लेकिन किसी भी आस्थान/कम्पनियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

   अतः प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।'' **(माननीय उपाध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या—17 (3) पर माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश का नाम पुरकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)**

4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के समेकित एवं सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय आय व्ययक आवंटन को भौगोलिक एवं आर्थिक आलोक में युक्तिसंगत बनाने एवं राज्य के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक अधिकार सम्पन्न ''आय व्ययक एवं वित पोषण समरूपता प्रदायक आयोग'' का गठन कर उसका क्रियान्वयन किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या–1118/ग्टप्प्–1/2013–01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (ठवदंपिकम त्मेपकमदजे) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार की प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय''।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहा पर यह कार्यरत है।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि स्वर्गीय डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा उत्तराखण्ड द्वारा भराड़ीसैंण, (गैरसैंण) जनपद चमोली में विधान सभा भवन निर्माण कार्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए योगदान प्रदान करने के दृष्टिगत भराड़ीसैंण (गैरसैंण) विधान सभा परिसर के विधायक हॉस्टल का नाम उनकी पुण्य स्मृति में कर दिया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाय और ऐसी संस्थाओं को चयनित करने के लिए इस वर्ग के प्रबुद्ध जनों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा ढोलीगांव व लूगड़ में जनहित को देखते हुए आई0टी0आई0 खोला जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में अक्टूबर, 2005 के बाद से नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।''

<u>निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया:–</u>

1. श्री मनोज रावत, ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत केदारनाथ विधान सभा में विश्वस्तरीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।''

(मद संख्या–44(1) श्री उपाध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्य श्री मनोज रावत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय दीर्घकालिक योजना निरूपित कर वर्तमान विषमताओं के निदान के लिए एक उच्च स्तरीय 'स्वास्थ्य सेवा परामर्शी दात्री आयोग' का गठन किया जाय।''

3. श्री महेश जीना, ''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में विकासखण्डों को विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नये विकास खण्डों के गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इण्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

रानीपोखरी का मुख्य पुल टूट जाने के सम्बन्ध में नियम 310 के अन्तर्गत सूचना को लिये जाने हेतु मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के समस्त मा0 सदस्य 'वेल' में आ गये एवं नारेबाजी करने लगे और घोर व्यवधान उत्पन्न होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डी0आई0 एम0एस0) विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के मध्य मा0 सदस्य श्री विनोद कण्डारी ने प्रस्ताव किया कि दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डी0आई0एम0एस0) विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 में निम्नलिखित संशोधन कर दिए जाए :–

1- विधेयक के पृष्ठ–3 दीर्घ शीर्षक के अन्तर्गत अंकित शिक्षण पाठ्यक्रम में उल्लिखित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा, दन्त विज्ञान, हौम्योपैथिक, कामर्स एवं अन्य क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य से सम्बन्धित शिक्षा को भी जोड़ दिया जाय। और विधेयक में जहां–जहां पाठ्यक्रम अंकित है, में इसे जोड़ दिया जाय।

2- अध्याय–3 की धारा–15 की उपधारा–1 में अध्यक्ष के बाद/''सदस्य में से'' जोड़ दिया जाय। को इस विधेयक का अंग मान जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–54, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

श्री उपाध्यक्ष ने विपक्ष के मा0 सदस्यों से स्थान ग्रहण करने के लिए कहा। इस पर वे अपनी बात पर अडे रहे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आपके उपवेशन में पूर्व में ही पांच कार्यस्थगन के प्रस्तावों तथा एक नियम 310 की 58 में परिवर्तित सूचना की ग्राहयता पर विषय आ चुके हैं। इस पर मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों ने सदन का बर्हिगमन किया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डी0आई0एम0एस0) विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को **यथा संशोधित पारित** किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

(04 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय''।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24—25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गये है जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी / लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन—पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय''।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के किसानों की फसलों को बन्दरों व सुअरों के आतंक से बचाने व निजात दिलाने के लिए ठोस नीति बनायी जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा।

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग सुनिश्चित किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निरन्तर हो रही दैवीय आपदा के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग भूमिहीन परिवारों को राजस्व भूमि आवंटित कराने हेतु एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक समिति गठित की जाय। जो उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं युक्त स्थलों का विकास भी सुनिश्चित किया जाय और सिडकुल जैसी भूमि भी इसमें शामिल की जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम—105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड—ओखलकाण्डा, धारी व रामगढ़ के मध्य एक पालिटैक्निक कालेज खोला जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम—54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम—54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम—54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय–व्यय निर्धारण में सम्बलियन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक–पृथक मात्राकरण आय–व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय–व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (SCSP) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP)एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (ैच्) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक–एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद–21 के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हॉसिल हो सके।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एंव गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्व हो सके।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''अनुसूचित जाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''जनपद हरिद्वार के इकबालपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नहर का कार्य तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

''युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हरिद्वार में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने विषयक''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इन सभी सूचनाओं को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में बाहरी आउटसोर्स एजेंसियों के उत्तराखण्ड के शिक्षित व योग्य बेरोजगारों को उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार,

राजस्व विभाग के अन्तर्गत भूलेख अधिष्ठान में नियत मानदेय पर कार्यरत डाटा एन्ट्री/कम्प्यूटर आपरेटरों के के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह,

गुर्जर समाज के लोगों को विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्रीमती ममता राकेश,

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं को नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता में समरूपता न होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, काजी मौ0 निजामुद्दीन,

प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) की वर्षो से लम्बित नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं अन्य मांगों के संबंध में मा0 सदस्य, श्री हरीश सिंह,

मार्च, 2017 से जनवरी, 2021 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद देहरादून में विधानसभावार स्वीकृत योजनाओं के संबंध में मा0 सदस्य, श्री उमेश शर्मा काऊ,

उत्तराखण्ड प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में मा0 सदस्य, श्री खजान दास,

जिला हरिद्वार के कस्बा झबरेड़ा के अन्तर्गत वर्ष 1919 के राजस्व अभिलेख के अनुसार झबरेड़ा के राजस्व क्षेत्र में 56 तालाबों से जिनका रकबा लगभग 800 बीघा है, पर अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में मा0 सदस्य, श्री देशराज कर्णवाल 'चमार साहब',

राजकीय जूनियर हाईस्कूल एवं प्राथमिक विद्यालयों से रा0इ0का0 कालेजों में समायोजित अध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत न होने के संबंध में मा0 सदस्य, श्री धन सिंह नेगी,

रूद्रपुर में यातायातनगर (ट्रांसपोर्ट नगर) की स्थापना के संबंध में मा0 सदस्य, श्री राजकुमार ठुकराल,

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत भीमताल्ला (अपर चमोली) खैनुरी मोटर मार्ग की दयनीय स्थिति के संबंध में मा0 सदस्य, श्री महेन्द्र भट्ट,

कपकोट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन रिखाडी बाछम मोटर मार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब से क्षेत्र में व्याप्त असन्तोष के संबंध में मा0 सदस्य, श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल,

भरतपुरी, पम्पापुरी, दुर्गापुरी व कौशल्यापुरी के कालोनियों के नियमतिकरण व मालिकाना हक न मिल पाने से व्याप्त असन्तोष के संबंध में मा0 सदस्य, श्री दीवान सिंह बिष्ट,

जनपद हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध धर्मनगरी, कुम्भ नगरी हरिद्वार में पिछले कुछ समय से अवैध शराब बिक्री व स्मैक के धन्धे को बन्द करने की मांग के संबंध में मा0 सदस्य, श्री आदेश चौहान,

चम्पावत विधान सभा के चम्पावत मुख्यालय में नर्सिंग कालेज में क्लासों के संचालन ना होने से व्याप्त असन्तोष के संबंध में मा0 सदस्य, श्री कैलाश सिंह गहतोडी,

महिला बेस चिकित्सालय सिमली में स्वीकृत प्रदान की गई है, भवन आदि सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, बेस चिकित्सालय के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन हेतु शीघ्र कार्यवाही के संबंध में मा0 सदस्य, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी,

भीमताल विधान सभा में झील प्राधिकरण के अन्तर्गत भवनों के निर्माण कार्य कराने हेतु नया मास्टर प्लान बनाये जाने के संबंध में मा0 सदस्य, श्री राम सिंह कैडा,

बागेश्वर विकास खण्ड के 5 कर्मचारियों को कुपट्रान (आई0टी0) विभाग से वी0आर0एस0 तथा हिल्ट्रान धनराशि स्वीकृति के बाद भी भुगतान न होने के संबंध में मा0 सदस्य, श्री चन्दन राम दास,

विकास खण्ड थराली के दूरस्थ गावों में रात्रि को जंगली जानवरों के हमले को रोकने के लिए सोलर लाईट लगने में विलम्ब होने से व्याप्त असन्तोष के संबंध में मा0 सदस्य, श्रीमती मुन्नी देवी शाह,

विधान सभा नानकमत्ता विधान सभा में गौवंश हेतु गौशाला निर्माण की मांग को लेकर व्याप्त असन्तोष के संबंध में मा0 सदस्य, डा0 प्रेम सिंह राणा तथा

पन्तनगर—नगला—हलदी क्षेत्र नगर पंचायत व ग्राम पंचायत का हिस्सा न होने के कारण तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं से वंचित के संबंध में मा0 सदस्य, श्री राजेश शुक्ला, के नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया।

जनपद हरिद्वार में कुम्भ नगरी में पिछले कुछ समय से स्मैक व अवैध शराब बिक्री से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आदेश चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बागेश्वर के काफलीगैर क्षेत्र में एक ही विद्युत लाईन होने के कारण फाल्ट आने पर विद्युत आपूर्ति अक्सर बाधित रहने के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश, जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–50(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निगम के वित्तीय वर्ष 2018–2019 के वार्षिक लेखे/प्रतिवेदन (बैलेंशीट) सदन के पटल पर रखा।

सदन की कार्यवाही 04 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुकेश सिंघल,
सचिव (प्रभारी)
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेम चन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।